

विकास आयुक्त कार्यालय

मध्यप्रदेश भोपाल

—संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक—03 (10—11)
(तृतीय आमंत्रण)

क्रमांक 168 /22/ वि-10/ग्रामांसे/10,

माझो 0 के राज्यपाल की ओर से निमांकित कार्य हेतु मोहर बंद निविदाये फार्म "ए" पर ग्रामीण यात्रिकी सेवा अथवा कार्यक्रियां में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से सिविल, सेनेटरी फिटिंग एवं वाटर सालाई कार्य हेतु ग्रामीण यात्रिकी सेवा की दिनांक 01.04.08 से लागू दर अनुसूची (निविदा विज्ञानि जारी होने की दिनांक तक संशोधित) के आधार पर कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यात्रिकी सेवा, समाग संबंधित जिला के कार्यालय में दिनांक 09.07.2010 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 08.07.2010 तक कार्यपालन ग्रामीण यात्रिकी सेवा समाग संबंधित जिला के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

क्रमांक	कार्य का नाम	विकास खण्ड	जिला	अनुमानित लागत	भरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	के.जी.बी.टी. छात्रावास रह विद्यालय, ढोवलाज़िरी	अलीराजपुर	अलीराजपुर	70.00 लाख	70,000/-	10000/-	11 माह वर्ष काल सहित	अ-3 एवं उच्च
2	के.जी.बी.टी. छात्रावास, रोटला	रामा	आबुआ	69.65 लाख	69700/-	10000/-	11 माह वर्ष काल सहित	अ-3 एवं उच्च

नोट— यह संक्षिप्त निविदा है। कार्य संबंधी विवरण एवं निविदा की शर्तें आदि संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री ग्रामांसे समाग के कार्यालय में देखी जा सकती है। विस्तृत सूचना बैबसाईट www.nregs-mp.org पर भी प्रदर्शित है।


मुख्य अधिकारी
ग्रामीण यात्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

विकास आयुक्त कार्यालय

मध्यप्रदेश भोपाल

—विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक-03 (10-11) (तीव्रीय आमंत्रण)

क्रमांक / ६८ / २२ / वि-१०/ग्रायांसे/१०,

म०प्र० के राज्यपाल की ओर से निम्नांकित कार्य हेतु मोहर बंद निविदायें फार्म "ए" पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अथवा कार्यविभागों में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत रेकेटारों से सिविल, सेनेटरी फिटिंग एवं वाटर सलाई कार्य हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दि० १२.०४.२०१० से प्रमावशील दर अनुसूची एवं आंतरिक विद्युतीकरण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की दिनांक ०१.०४.०८ से लागू दर अनुसूची (निविदा विज्ञाप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) के आधार पर कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सभाग संबंधित जिला के कार्यालय में दि० ०९.०७.२०१० को दोपहर ३.०० बजे तक आमंत्रित की जाती है। कोरे निविदा प्रपत्र दि० ०८.०७.२०१० तक कार्यपालन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सभाग संबंधित जिला के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

क्रमांक	कार्य का नाम	विकास खण्ड	जिला	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि की श्रेणी	टेकेदार
१	के.जी.बी.डी. उत्तराचारण सह विद्यालय, ढोवलाञ्छिरी	अलीशजपुर	अलीशजपुर	70.०० लाख	70,०००/-	10000/-	११ माह वर्षों अ-३ एवं काल सहित उच्च	
२	के.जी.बी.डी. उत्तराचारण सह विद्यालय, ढोवलाञ्छिरी	रामा	झाझुआ	६९.६५ लाख	६९७००/-	10000/-	११ माह वर्षों अ-३ एवं काल सहित उच्च	

भोपाल, दिनांक २९/०६/१०

निविदा की सामान्य शर्तें :-

1. ड्राक द्वारा निविदा प्रपत्र मांगवाने पर ₹० ५०/- – अतिरिक्त ड्राक का वास्तविक व्यय देना होगा। पोर्ट कार्यालय द्वारा ड्राक विलंब के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
2. ऐसे ठेकेदार जिन्होंने शासकीय विभागों अथवा शासकीय उपकरणों में गत तीन वर्षों में एक भवन कार्य रु. २५ लाख मूल्य का भवन कार्य सफलतापूर्वक संपादित किया हो, वे ही निविदा देने हेतु सक्षम होंगे। कार्यविभागों में पंजीकृत ठेकेदार को अनुबंध से पूर्व ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में सक्षम श्रेणी में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृति के एक माह के अंदर पंजीयन कराकर अनुबंध संपादित न करने की शिथि में आमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसे ठेकेदार जिन्होंने पूर्व में विभाग में कार्य लिये और अपूर्ण अवस्था में छोड़ दिये अथवा कार्य प्रारम्भ ही नहीं किये उहें निविदा प्रपत्र विक्रय नहीं किये जावेगे। ठेकेदार द्वारा पंजीयन की मूल प्रति, ग्रामीणदारी विलेख तथा पावर आफ अटार्नी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. निविदा मुहरखंद तीन लिफाफों में अलग-अलग स्वीकार की जावेगी, यथा प्रथम लिफाफा अमानत की राशि का, द्वितीय लिफाफा अमानत की राशि का प्रस्ताव का तथा तृतीय लिफाफा वित्तीय प्रस्ताव का प्रस्तुत करना होगा।
4. पूर्ण निविदा प्रस्ताव दिनांक ०९.०७.२०१० को अपराह्न ३.०० बजे तक स्वीकार किये जावेंगे तथा दिनांक ०९.०७.२०१० को २.०० को अपराह्न कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभारा प्रस्ताव खोले जावेंगे। पात्र निविदाकारों के तकनीकी प्रस्ताव दिनांक १२.०७.२०१० को २.०० को अपराह्न ५.०० बजे कार्यपालन यंत्री (संबंधित जिला) के कार्यालय में खोले जावेंगे।
5. तकनीकी प्रस्ताव उपयुक्त पाये जाने वाले निविदा कारों के वित्तीय प्रस्तावों को दिनांक १२.०७.२०१० को अपराह्न ५.०० बजे कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभारा (संबंधित जिला) में खोला जावेगा।
6. निविदा क्रम्य करते समय पंजीयन की प्रतीलिपि एवं नवीन दैदा सालवेंसी, गणित्य कर विभाग का युक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा प्रपत्र विक्रय नहीं किये जावेंगे।
7. सशांति, कठी-फठी अथवा ओढ़र राइटिंग लिखाई की निविदा मान्य नहीं की जावेगी। ठेकेदार कार्यालय का निरीक्षण निविदा देने के पूर्व कर लेवें।
8. निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।
9. निविदा कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर अथवा किसी भी परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।
10. अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व खनिज गौण संपदा का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी अंतिम भुगतान किया जावेगा।
11. ठेकेदार प्रदत्त निविदा के साथ अमानत राशि प्रस्तुत करें। पूर्व निविदाओं की राशि समायोजित नहीं की जावेगी। अमानत राशि अलग से मोहरखंद लिफाफे में देनी होगी। यह राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से जमा फिक्स डिपॉजिट जो कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छतरपुर के पक्ष में देय हो तथा कार्यालय के लिये जमा हो, मान्य की जावेगी।
12. कार्य में प्रयुक्त सामग्री का उपयोग संलग्न मेनेजरी ट्रेस्ट सूची अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाने के उपरांत किया जावे।
13. निर्माण कार्य के स्पेशिफिकेशन में फेरबदल करने का अधिकार संबंधित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को होगा।
14. विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित करना अनिवार्य होगा।
15. निविदा से संबंधित किसी भी वाद पर अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होगा। साथ ही बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का

आधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

16. श्रम संविदा एक्ट के अतंगत वैद्य लेबर लायसेन्स प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

17. संबंधित ठेकेदार का लायसेन्स बोर्ड का ए कलास लायसेन्सी होना अथवा बिजली कार्य हेतु ए कलास लायसेन्सी का ठेकेदार से संबद्ध होना आवश्यक होगा। (तदृश्य का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा)।

18. निविदा की विशेष शर्त :-

निर्माण कार्यों (डामरीकृत मार्ग को छोड़कर) हेतु परफार्मेंस एण्ड डिफेंट लायबिलिटी की गारंटी अवधि, कार्य की वार्तविक गुणता तिथि के पश्चात् 24 माह तक एवं डामरीकृत मार्ग हेतु 36 माह तक रहेगी। गारंटी अवधि में ठेकेदार को देय राशि की, कुल 10 प्रतिशत राशि अंतिम भुगतान के पश्चात् रोक कर रखी जावेगी। इस हेतु सुरक्षा जमा के रूप में 5 प्रतिशत राशि ठेकेदार के बिल से काटी जावेगी। यदि इस अवधि में निर्माण कार्य में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के द्वारा कार्य कराया जावेगा। ठेकेदारों को लिखित में सूचित करने के 15 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा कार्य न कराये जाने पर, प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार की रिस्क एण्ड कॉर्स पर, अन्य कर्मकारों द्वारा सुधार कार्य कराया जावेगा एवं सुधार कार्य पर किये गये द्वय की राशि (जिस बाबत प्रभारी अभियंता का प्रमाणपत्र अंतिम होगा) उपरोक्तानुसार ठेकेदार की जमा 10 प्रतिशत राशि में से लायबोजित कर ली जावेगी। दो वर्ष के पश्चात् प्रभारी अभियंता के द्वारा निरीक्षण में निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद पाये जाने पर ठेकेदार से वसूली दोग्र राशि के समायोजन पश्चात् शेष जमा राशि ठेकेदार को वापस की जावेगी। यदि सुधार कार्य के द्वय की राशि ठेकेदार की जमा राशि से अधिक रहती है तो अंतर की राशि उससे बढ़ाया भू-राजस्व/नगद प्रतिभूति के रूप में वसूल की जावेगी।"

(एव. शिवहरे)

मुख्य अभियंता
ग्रामीण यात्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

पुस्तकालय / 22 / वि-10 / ग्राहांसे / 10.

भोपाल, दिनांक २१/०६/१०

प्रतिलिपि :-

प्रेषित।
1. संचालक जन सम्पर्क संचालनालय जन सम्पर्क भवन बाण गंगा रोड भोपाल की ओर नियमानुसार प्रकाशन हेतु दस प्रतियों में

2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश गवालियर प्रथम टी०सी०-४ की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त समर्स्ट म०प्र० की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल इन्डोर।
5. कलेक्टर संबंधित जिला।
6. मुख्य कर्मपालन अधिकारी जिला पंचायत संबंधित जिला।
7. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अलीगढ़जपुर/झाबुआ की ओर भेज कर लेख है कि निविदा विज्ञाति जिला स्तर पर बैक्साइट पर अपलोड कराई जाए।
8. म०प्र० शासकीय ठेकेदार एसोसिएशन-३२ झुलं नगर, विपलानी, बी०एच०ई०एल० भोपाल।
9. सूचना पटल संभानीय कार्यालय पर चर्चा हेतु।

मुख्य
अधिकारी
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय